आय–व्ययक 2008–09 के की मुख्य विशेषताएँ

(अ)– बजट प्राविधान व राजकोषीय संकेतक :–

- राज्य बनने के बाद लगातार द्वितीय बार राजस्व सरप्लस बजट प्रस्तुत किया गया है।
- बजट में कोई नया 'कर' प्रस्तावित नहीं किया गया है।
- वर्ष 2008–09 वार्षिक योजना का आकार रु0 4775 करोड़ है जो वर्ष 2007–08 की योजना के आकार रु0 4378 करोड़ की तुलना में रु0 397 करोड़ अधिक है।
- प्रदेश में राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबन्धन अधिनियम के प्राविधानों का पालन किया गया है। बजट में राजकोषीय घाटा मात्र रू0 1155.30 करोड़ रह गया है, जो सकल घरेलू उत्पाद का 2.89 प्रतिशत है, जो यह निर्धारित मानक 3.00 प्रतिशत की सीमा में है।
- आय–व्ययक में कुल प्राप्तियाँ रु0 12112.38 करोड़ अनुमानित है।
- कुल व्यय रु0 12441.32 करोड़ अनुमानित है।
- कुल राजस्व प्राप्तियाँ 10456.56 करोड़ अनुमानित है।
- कुल राजस्व व्यय रु0 8662.53 करोड़ अनुमानित है।
- महिलाओं के लिए गत वर्ष प्रथम बार 'जेण्डर बजटिंग' आरम्भ की गई थी, जिसके अन्तर्गत 18 विभागों की योजनाओं के लिए रु0 333 करोड़ की व्यवस्था थी जिसे इस वर्ष 20 विभागों में विस्तारित करते हुए रु0 656 करोड़ की व्यवस्था की गई है।
- समेकित निधि की प्राप्तियों से कुल व्यय घटाने के पश्चात वर्ष 2008–2009 में अनुमानित घाटा रु0 328.94 करोड़ है।
- वर्ष 2008–2009 में समेकित निधि का घाटा पूरा करने के लिए रु0 250 करोड़ लोक–लेखा से समायोजित किये जायेंगे।
- प्रारम्भिक शेष को लेते हुए वर्ष 2008–09 का अन्तिम शेष रु0 62.25 करोड़ अनुमानित है।

(ब)– कर सुधार तथा कर दरों का युक्तिकरण (रेशनलाईजेशन) :–

- आटा, मैदा, सूजी एवं दालें सामान्यजन के दैनिक उपयोग की वस्तुएं हैं, अतः इन पर 'वैट' की दर 4 प्रतिशत से घटाकर एक प्रतिशत की जाएगी।
- अचल सम्पत्ति के हस्तांतरण पर देय स्टॉम्प शुल्क की दर 8 प्रतिशत से घटाकर 7 प्रतिशत की जाएगी।
- शहरी क्षेत्रों में अचल सम्पत्ति के हस्तांतरण पर देय 2 प्रतिशत अतिरिक्त स्टॉम्प ड्यूटी को भी 1 प्रतिशत किया जाएगा।
- सर्किल रेट से अधिक दर पर बैनामा किए जाने की स्थिति में सर्किल रेट से अधिक की धनराशि के 50 प्रतिशत पर स्टॉम्प शुल्क की छूट दी जाएगी।
- रु0 1 लाख के स्थान पर रु0 3 लाख तक के कृषि ऋणों पर स्टाम्प शुल्क की छूट प्रदान की जाएगी।
- छवि गृहों में मनोरंजन कर की दर 60% से घटाकर 40% की जायेगी।
- केबल–टेलीविजन/डी0टी0एच0 पर मनोरंजन कर की दर 30 प्रतिशत से घटाकर 20 प्रतिशत की जाएगी।
- उत्पादनकर्ता इकाईयों द्वारा खरीदे जाने वाले कच्चे माल पर 'वैट' की कर दर को 4 प्रतिशत के स्थान पर केन्द्रीय बिक्री कर की समान दर के अनुरूप किया जाएगा।
- सड़क के किनारे स्थित ढ़ाबे तथा कर्मचारियों के लिए कैंटीन, जिनकी सकल बिक्री रु0 50 लाख तक है, के लिए 4 प्रतिशत वैट की दर पर एकमुश्त समाधान योजना लागू की जाएगी।
- दिनांकः 1–10–2005 को नई कर प्रणाली के लागू करते समय आरम्भिक स्टॉक का कई करदाता निर्धारित अवधि दिनांकः 31–12–2005 तक विवरण नहीं दे पाए थे। इस अवधि को तीन माह और बढ़ाया जाएगा।
- नियमित कर निर्धारण की प्रक्रिया का सरलीकरण किया जाएगा ताकि रु0 5 करोड़ तक विक्रयधन वाले व्यापारियों को कार्यालय आने की आवश्यकता न रहे।
- निर्यातकों को अपने इनपुट पर दिए गए कर की वापसी शीघ्र सुनिश्चित करने के उद्देश्य से बैंक गारण्टी के स्थान पर निर्यात

सम्बन्धी दस्तावेज प्रस्तुत करने पर वापसी का प्राविधान किया जाएगा।

- एक करोड़ तक के विक्रय धन वाले करदाताओं के लिए निर्धारित आडिट रिपोर्ट की बाध्यता में शिथिलीकरण किया जाएगा।
- कच्चे माल के साथ–साथ कन्ज्यूमेबल गुड्स पर भी इनपुट टैक्स का लाभ अनुमन्य करने की व्यवस्था की जाएगी।

(स)– अन्य योजनाएँ :–

- पर्वतीय क्षेत्रों हेतु एक विशेष समग्र औद्योगिक प्रोत्साहन नीति–2008 घोषित की गई है जिसके अन्तर्गत अवस्थापना सुविधाओं का विकास, ब्याज उपादान प्रोत्साहन, अचल पूँजी निवेश पर उपादान आदि सुविधाएं दी जाएंगी तथा इस नीति का प्रभावी क्रियान्वयन किया जाएगा।
- सरकार ने हाल ही में लघु जल विद्युत परियोजनाओं सहित नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन योजनाओं हेतु नई ऊर्जा नीति घोषित की है। इस ऊर्जा नीति को तत्परता से लागू किया जाएगा। इससे ग्रिड के अन्तिम छोर पर विद्युत उत्पादन में लाभ तथा पारेषण में विद्युत हानियों को कम करने के साथ–साथ स्थानीय उद्यमियों/उपभोक्ता समूहों को विद्युत उत्पादन क्षेत्र में समुचित अवसर प्राप्त होगा।
- बालिकाओं के लिए छात्रावासों का निर्माण तथा कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालयों का हाई स्कूल तक विस्तारीकरण किया जायेगा।
- अगले वित्तीय वर्ष में श्रीनगर मेडिकल कालेज में पठन–पाठन प्रारम्भ किए जाने के सभी प्रयास किए जा रहे हैं। अल्मोड़ा मेडिकल कालेज के लिए भूमि अधिग्रहण / निर्माण कार्य हेतु रु0 5 करोड़ का प्राविधान।
- राज्य में आपात स्थिति में ग्रस्त व्यक्तियों को तत्काल निकटतम अस्पताल पहुंचाने के उद्देश्य से पी0पी0पी0 माडल के आधार पर एम्बुलेंस सेवा उपलब्ध कराई जाएगी।
- राज्य में समस्त गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों के लिए सार्वभौमिक स्वास्थ्य बीमा योजना लागू की जाएगी जिसके अन्तर्गत रु0 30 हजार प्रति वर्ष चिकित्सा प्रतिपूर्ति तथा परिवार के किसी

सदस्य की दुर्घटना में मृत्यु होने पर रु0 25 हजार की बीमा धनराशि दी जाएगी।

- स्वास्थ्य कार्यक्रमों का पी0पी0पी0 के माध्यम से भी संचालन करने की योजनाओं का विस्तार किया जाता रहेगा।
- राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के परिप्रेक्ष्य में कृषि एवं सम्बन्धित क्षेत्रों हेतु भी गत वर्ष की अपेक्षा अधिक बजट व्यवस्था की जा रही है।
- कर्मचारी राज्य बीमा योजना, उत्तराखण्ड के अन्तर्गत बीमांकित व्यक्तियों एवं उनके आश्रितों को उच्च स्तरीय चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराए जाने के उद्देश्य से गढ़वाल व कुमाऊँ मण्डलों में एक–एक कर्मचारी राज्य बीमा चिकित्सालय की स्थापना की जाएगी।
- शहरी मलिन बस्तियों में रहने वाले अपवंचित वर्ग के बच्चों को शिक्षा सुविधा पी0पी0पी0 के अन्तर्गत उपलब्ध कराए जाने के उद्देश्य से देहरादून, हरिद्वार तथा ऊधमसिंह नगर के लगभग 450 बच्चों को लाभान्वित किए जाने का लक्ष्य रखा गया है।
- वर्ष 2007–08 में प्रदेश के 21 शैक्षिक रूप से पिछड़े विकासखण्डों के 1027 उच्च प्राथमिक विद्यालयों में भी 'मध्यान्ह भोजन योजना' लागू की गई है। वर्ष 2008–09 में इस योजना को प्रदेश के सभी राजकीय एवं सहायता प्राप्त उच्च प्राथमिक विद्यालय, हाईस्कूल एवं इण्टरमीडिएट कालेजों में कक्षा 6, 7 व 8 में पढ़ने वाले बच्चों के लिए लागू किया जा रहा है जिससे प्रदेश के 5017 विद्यालयों में पढ़ने वाले लगभग 393444 बच्चे लाभान्वित होंगे।
- 'मध्यान्ह भोजन योजना''में कार्यरत भोजन माताओं तथा सहायिकाओं के मानदेय में 25 प्रतिशत वृद्धि की जाएगी। मानदेय में यह वृद्धि न्यूनतम रु0 62.50 से रु0 112.50 तक होगा।
- दिल्ली से देहरादून तक हिण्डन नदी के किनारे एक्सप्रैस–वे–परियोजना, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप (PPP Mode) में बनायी जायेगी, जिसके सम्बंध में उत्तराखण्ड शासन द्वारा प्रस्ताव पर सैद्धान्तिक सहमति दे दी गई है। उत्तर प्रदेश द्वारा ग्रेटर नौएडा से कलसिया (सहारनपुर) तक उक्त एक्सप्रैस–वे बनाया जाना प्रस्तावित है तथा उत्तराखण्ड सरकार द्वारा उक्त एक्सप्रैस–वे को कलसिया से देहरादून तक बनाने का प्रस्ताव है।

- जौली ग्रान्ट हवाई अड्डे से थानो होते हुए रायपुर के लिए चार लेन सड़क लिंक का निर्माण किया जायेगा ताकि यात्रा समय कम हो सके।
- हरिद्वार–ऋषिकेश–मुनि की रेती–स्वर्गाश्रम मेगा पर्यटन परियोजना भी लाने का विचार है जिस हेतु डी0पी0आर0 तैयार कराई जा रही है।
- पतित पावनी गंगा, यमुना व सहायक नदियों को प्रदूषण मुक्त करना हमारी सरकार की प्राथमिकताओं में है। इस हेतु रू0 15.50 करोड़ का प्राविधान है।
- प्रथम साउथ एशियन शीत खेलों' की मेजबानी का दायित्व, एशियन शीत ओलम्पिक संघ द्वारा राज्य को प्रदान किया गया है। इन खेलों के सफल आयोजन के लिए राज्य के बजट में रु0 50 करोड़ का प्राविधान किया गया है।
- वर्ष 2010 में कुम्भ मेलें हेतु रू0 48.50 करोड़ की व्यवस्था है।

(द)– प्रशासनिक सुधार :–

- 'नए प्रोक्योरमेंट रुल्स' आधुनिक क्रय प्रणालियों के आधार पर लागू किए जाएंगे।
- बेहतर वित्तीय प्रबन्धन व दैनिक लेन–देन के अनुश्रवण हेतु प्रदेश के समस्त कोषागारों को इण्टर कनैक्टीविटी से जोड़ा जायेगा।
- उत्तराखण्ड राज्य द्वारा अपनी स्वतंत्र निर्माण इकाई 'उत्तराखण्ड राज्य अवस्थापना विकास निगम' का गठन किया जाएगा।
- राज्य कर्मचारियों एवं पेंशनर्स को कैश विहीन चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति की योजना 'स्मार्ट कार्ड' के माध्यम से लागू किया जाना प्रस्तावित है।
- योजनाओं में निजी पूंजी निवेश व प्रबन्धन हेतु पी0पी0पी0 योजनाओं के लिए नियोजन विभाग के अन्तर्गत पी0पी0पी0 प्रकोष्ठ बनाया जायेगा।

————::00::————